अध्याय 5 केप्टिव कोयला ब्लॉकों का उत्पादन निपादन

केप्टिव कोयला ब्लाकों का उत्पादन निष्पादन कोयला जो राष्ट्र की ऊर्जा का मूल स्रोत है, की घरेलू माँग और आपूर्ति के बीच अंतराल को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।

यह अध्याय XI वीं योजना अवधि के दौरान कोयला ब्लाकों के उत्पादन निष्पादन और केप्टिव कोयला ब्लाकों से उत्पादन सुकर करने हेतु एमओसी द्वारा किए गए उपायों का विश्लेषण करता है। उन विभिन्न अवरोधनों के लिए लाये गए मानीटरिंग तंत्र जो केप्टिव कोयला ब्लाकों से कोयला के वांछित उत्पादन में बाधा पहुँचा रहे है और इन कोयला ब्लाकों द्वारा निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई "प्रोत्साहनों" और "हतोत्साहनों " की प्रणाली के भी विश्लेषण किए जाते हैं।

5.1 XI वीं योजना के दौरान केप्टिव कोयला ब्लॉकों का आबंटन

31 मार्च 2011 को सरकारी कम्पनियों, निजी कम्पनियों तथा अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपीज) को केप्टिव कोयला ब्लॉकों का वर्ष-वार आबंटन निम्न तालिका में दिया गया है।

केप्टिव खनन हेतु कोयला ब्लॉकों का वर्ष-वार आबंटन

आवंटन का वर्ष	सरकारी कम्पनियां		निजी कम्पनियां		अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं		जोड़	
	ब्लॉकों की संख्या	जीआर (मिलियन टन में)	ब्लॉकों की संख्या	जीआर (मिलियन टन में)	ब्लाकों की संख्या	जीआर (मिलियन टन में)	ब्लाकों की संख्या	जीआर (मिलियन टन में)
1993 से 2005	29	6294.72	41	3336.88	0	0	70	9631.6
2006	32	12363.15	15	3793.14	6	1635.24	53	17791.53
2007	34	8779.08	17	2111.14	1	972	52	11862.22
2008	3	509.99	20	2939.53	1	100	24	3549.52
2009	1	337	12	5216.53	3	1339.02	16	6892.55
2010					1	800	1	800
जोड़	**99**	**28283.94**	**105**	**17397.22**	**12**	**4846.26**	**216**	**50527.42**

(जीआर-भूवैज्ञानिक रिज़र्व)

उपर्युक्त 216 ब्लॉकों में से, 24 ब्लॉकों (2003 में तीन ब्लॉक, 2006 में दो ब्लॉक, 2008 में एक ब्लॉक, 2009 में एक ब्लॉक, 2010 में तीन ब्लॉक तथा 2011 में 14 ब्लॉक) का आबंटितियों[14] द्वारा उत्पादन के गैर-निष्पादन हेतु आवंटन रद्द किया गया था तथा रद्द किए गए आवंटनों वाले दो ब्लॉक बाद में अन्य को पुनः आबंटित कर दिए गए थे (2003 और 2005)।

[14] यह शब्द उस पार्टी के लिए किया गया जिसके लिए एक कोयला ब्लॉक का केप्टिव खनन हेतु प्रयोग किया जाता है।

अतः 31 मार्च 2011 को 44,440 मिलियन टन के सकल भूवैज्ञानिक रिज़र्वों सहित, 194 कोयला ब्लॉक आबंटित किए गए थे।

5.2 XI वीं योजना के दौरान केप्टिव कोयला ब्लॉकों से उत्पादन

केप्टिव खनन के लिए आबंटित कोयला ब्लॉकों से कोयले के उत्पादन की देश में कोयले की मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आशा थी।

86 केप्टिव कोयला ब्लॉकों, जिनकी XI वीं योजना अवधि में उत्पादन करने की उम्मीद थी, के संबंध में वर्ष-वार लक्ष्य तथा उपलब्धियां चार्टों में दी गई है।

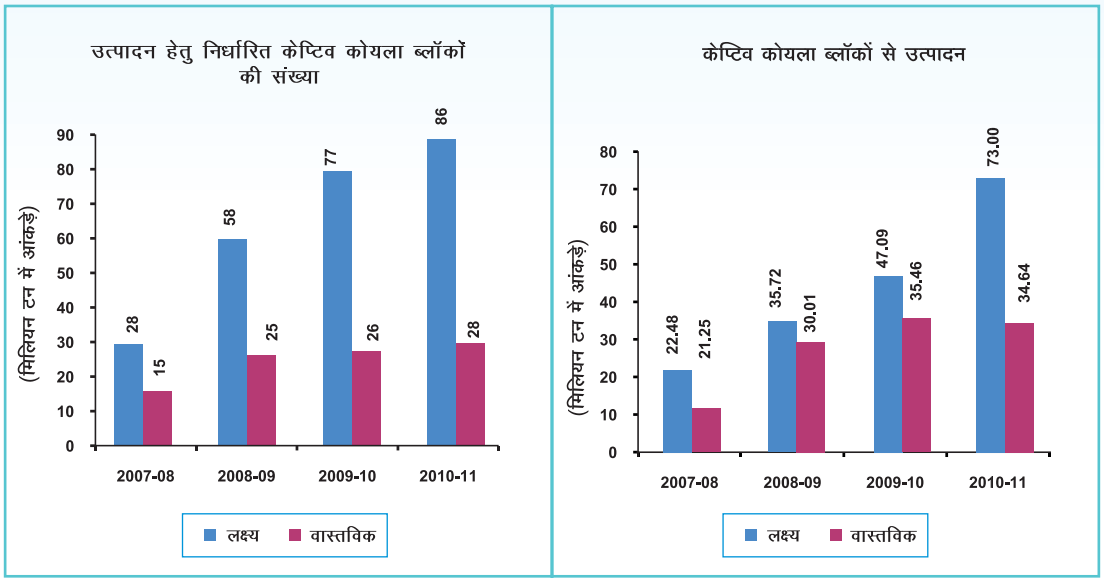

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि 73.00 मिलियन टन कोयले के उत्पादन के लक्ष्य सहित 86 कोयला ब्लॉकों, जो XI वीं योजना अवधि (2010-11 तक) में उत्पादन के लिए निर्धारित थे, 28 ब्लॉकों (निजी क्षेत्र को आबंटित 15 ब्लॉकों सहित) ने 31 मार्च 2011 को उत्पादन शुरू किया और 2010-11 के दौरान 34.64 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया। इसके परिणामस्वरूप केप्टिव कोयला ब्लॉकों से कोयले के उत्पादन में 38.36 मिलियन टन (52.55 प्रतिशत) की कमी हुई।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2012) कि उत्पादन की अवस्था तक पहुंचने के लिए कोयला ब्लॉकों के विकास में तीन से सात वर्ष की पक्वानवधि शामिल है वे आबंटिती जिन्होंने अभी तक उत्पादन शुरू नहीं किया था, संविधिक अनुमोदन प्राप्त करने तथा खनन पट्टा की विभिन्न अवस्थाओं में थे। एच्छिक विलम्ब के मामले में कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द करने के लिए समुचित कार्रवाई कर ली गई थी तथा अभी तक 25 कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द किया गया था। मंत्रालय ने यह भी बताया (मार्च 2012) कि अन्वेषण हेतु दिए गए 24 महीने तथा वन अनुमोदन हेतु दिए गए छः महीने, जिन पर पहले विचार किया गया था, पर्याप्त नहीं पाए गए थे तथा वन तथा पर्यावरण अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सीआईएल द्वारा लिया गया औसत समय चार वर्ष से अधिक था। आबंटित केप्टिव कोयला ब्लॉकों के निष्पादन की जनवरी 2012 में समीक्षा की गई थी तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी केप्टिव कोयला ब्लॉकों से अभिप्रेत लाभ यथाशीघ्र प्राप्त कर लिए गए हैं, कार्रवाई की श्रृखला पर विचार किया गया था।

ब्लॉकों की निर्धारित उत्पादन योजनाएं उत्पादन-पूर्व अनुमोदनों के लिए अपेक्षित समय को ध्यान में रख कर बनाई गई थी तथा उत्पादन लक्ष्यों में 52.55 प्रतिशत की कमी प्राप्त न किए गए केप्टिव कोयला ब्लॉकों के आवंटन के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य को दर्शाती है।

5.3 अन्वेषण और विकास को साथ जोड़े बिना कोयला ब्लॉकों का आबंटन

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोयला ब्लॉकों का आबंटन एक सूचित ढंग से किया गया है और उनका उत्पादन प्रारम्भ करने में कोई बाधाएं नहीं है, अन्वेषण और विकास से संबंधित मूल मामलों को पहले ही जोड़ लिया जाना चाहिए। खनन योजना का अनुमोदन कोयला खनन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पूर्व-अपेक्षित है। एमओसी ने निर्णय लिया (अक्तूबर 2003) कि केप्टिव ब्लॉक का कोई आबंटन जब तक नहीं किया जाएगा तब तक ब्लॉक का खनन योजना के तैयार करने और ईआर के निर्धारण को सुकर बनाने के लिए अन्वेषण किया गया था। इससे अधिक सूचित तथा सही ढंग में कोयला ब्लॉक्स के आबंटन पर निर्णय लेने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी सहायता करेगी। तथापि, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पायाः

- 31 मार्च 2011 तक केप्टिव खनन के लिए एमओसी द्वारा आबंटित किए गए 194 ब्लॉक्स में से मात्र 142 अन्वेषित ब्लॉक्स (जीआरः 23391 मिलियन टन) थे और शेष 52 या तो क्षेत्रवार अन्वेषित थे अथवा अन्वेषित कोयला ब्लॉक नहीं थे (जीआरः 21049 मिलियन टन) जिनकी खनन योजना के तैयार करने के लिए पुनः अन्वेषण की आवश्यकता थी।

- अन्तर्राष्ट्रीय रूप से अपनाई गई भौगोलिक समन्वयी प्रणाली देशान्तर और अक्षांश के अनुसार ब्लाक के समन्वय को व्यक्त करती है। पहले ब्लॉक्स जिनकी आन्तरिक सूची के लिए पहचान की गई थी का या तो सर्वेक्षण प्रत्याशित मूल्यों सहित स्थानीय आयाताकार ग्रिडों में सीएमपीडीआईएल द्वारा किया गया था अथवा सीएमपीडीआईएल द्वारा सर्वेक्षण नहीं किया गया था और इन ब्लॉक्स का केवल क्षेत्रीय रूप से अन्वेषण जीएसआई/एमईसीएल द्वारा किया गया था। इसलिए, यथार्थ समन्वयी अर्थात ब्लॉक्स के लिए देशान्तर और अक्षांश आबंटन के समय एमओसी के पास उपलब्ध नहीं थे। इससे सीमांकन विवादों के कारण उत्पादन में विलम्ब हो सकता है ऐसे विलम्ब गारे IV/6 ब्लॉक (जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड और नालवा स्पांज आयरन लिमिटेड संयुक्त रूप से) गारे IV/7 (रायपुर एलायज) और रामचन्दी ब्लॉक (जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड) में हुए थे।

- कोल-बेड मीथेन (सीबीएम)[15] ब्लॉक्स वाले कोयला ब्लॉकों के ओवरलेपिंग के कारण विवाद हुए थे। बिहारीनाथ ब्लॉक को बाँकुरा डीआरआई माइनिंग मेन्युफेक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड को केप्टिव कोयला खनन के लिए आबंटित किया गया था (फरवरी 2007) और इसे सीबीएम निष्कर्षण के लिए पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय द्वारा जीईईसीएल[16] को भी आबंटित किया गया था। यद्यपि, सह-विकास योजना बनाई गई थी फिर भी जीईईसीएल ने कोयला ब्लॉक के विकास से कोयला आबंटितियों को प्रतिबंधित करते हुए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से एक स्थगन आदेश प्राप्त किया। इसी प्रकार, भूषण पावर एण्ड स्टील लिमिटेड को पाटल ईस्ट ब्लॉक (नवम्बर 2007 में आबंटित) और रामस्वरूप लौह उद्योग लिमिटेड को मोयरा मधुरजोरे ब्लॉक (अक्तूबर

---

[15] कोल बेड मीथेन कोयला बेडस से निष्कर्षित प्राकृतिक गैस के रूप में है

[16] ग्रेट ईस्टर्न ऐनर्जी कारपोरेशन लिमिटेड

2009 में आबंटित) के मामले में सीबीएम ब्लॉक्स के साथ कोयला ब्लॉक्स का ओवरलेपिंग हुआ था। इससे इन कोयला ब्लॉक्स के विकास पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा था।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2012) कि अन्वेषण में बहुत अधिक समय लगता है और इसलिए उनकी सीमित उलब्धता के कारण मात्र अन्वेषित ब्लॉक्स के आबंटन पर विचार करना सम्भव नहीं होगा। विवादों को सुलझाने के लिए सभी पणधारियों के साथ सीएमपीडीआईएल और सम्बन्धित कोयला कम्पनी से परामर्श करके बैठक की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है चूंकि एक सूचित और विवेकी ढंग में कोयला ब्लॉक्स के आबंटन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी को डॉटा उपलब्ध कराने के लिए आरक्षितों के निश्चित करने की प्रणाली का अनुसरण नहीं किया गया था। इसका अनुपालन विशेषज्ञ समिति द्वारा भी किया गया था कि मात्र अन्वेषित ब्लॉक्स को आबंटितियों को दिया जाना है।

5.4 कोयले का अधिक आबंटन

केप्टिव कोयला ब्लॉकों से अतिरिक्त कोयले के उत्पादन की संभावना है, यदि कोयला उत्पादन को अन्तिम उपयोग परियोजना (ईयूपी) के शुरू करने से पूर्व मूर्तरूप दिया जाता है अथवा यदि कोयला उत्पादन ईयूपी में उत्पादन को आउटपेस कर देता है।

सासन यूएमपीपी के बारे में लेखापरीक्षा आपत्तियों की चर्चा वर्ष 2011-12 के लिए 'एसपीवी मॉडल के अन्तर्गत अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं' पर अन्य सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में की गई है।

5.5 उत्पादन के प्रारम्भ करने में विलम्ब और उसके कारण

एमओसी के दिशानिर्देशों के अनुसार, आबंटित केप्टिव ब्लॉकों में उत्पादन ओपन कास्ट खानों के मामले में 36 माह के अन्दर (वन भूमि के लिए 42 माह) और भूमिगत खानों के लिए आबंटन के पत्र के जारी करने की तारीख से 48 माह (वन भूमि के लिए 54 माह) के अन्दर प्रारम्भ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त दो वर्षों की अनुमति अन्वेषण न की गई और क्षेत्रीय रूप से अन्वेषित केप्टिव ब्लॉक्स के लिए उत्पादन के प्रारम्भ करने के लिए दी गई है।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि 30 जून 2011 को 28 उत्पादित ब्लॉक्स में से तेरह ब्लॉक्स में नियामक उत्पादन अनुसूचियों से एक से दस वर्षो तक का अधिक समय लगा था।

इसी प्रकार, 68 गैर उत्पादक ब्लॉक्स में से जहाँ उत्पादन की नियामक तारीख 30 जून 2011 तक नियत थी वहाँ नियामक उत्पादन अनुसूची से 47 ब्लॉकों में एक से पांच वर्षों तक का अधिक समय लगा था और 4 ब्लॉकों में पांच से दस वर्षों तक का अधिक समय लगा था।

लेखापरीक्षा ने इन 68 कोयला ब्लॉकों के संबंध में विलम्ब के लिए उत्तरदायी घटकों का विश्लेषण किया और पाया कि यह अत्यधिक रूप से भूमि अधिग्रहण (एलए), वन अनुमति (एफसी), खनन पट्टा (एमएल), खनन योजना (एमपी) और पर्यावरण प्रबन्धन योजना (ईएमपी) में विलम्ब के कारण था।

लेखापरीक्षा ने यह भी नोट किया कि उपर्युक्त 68 ब्लॉकों में से विभिन्न मीलपत्थर प्रतीक्षित थे उदाहरणार्थ 53 ब्लॉकों में एफसी, 62 ब्लॉकों में एलए, 58 ब्लॉकों में एमएल, 4 ब्लॉकों में एमपी और 26 ब्लॉकों में ईएमपी 30 जून 2011 को लम्बित थे। अन्त उपयोग परियोजनाओं के चालू करने और कोयला ब्लॉकों से उत्पादन के प्रारम्भ करने के प्रति राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के मध्य

समन्वित दृष्टिकोण का अभाव था। खनन पट्टा, सरफेस अधिकार, भूमि अधिग्रहण, पुनः भूमि व्यवस्था/पुनर्वास केन्द्र और राज्य सरकारों से पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त करने के लिए लिए गए असामान्य समय ने आन्तरिक कोयला ब्लॉकों से उत्पादन के प्रारम्भ करने में गंभीर रूप से रूकावटें पैदा कीं। कुछ राज्यों ने विभिन्न अनुमोदनों के प्रदान करने के लिए एकल विन्डो प्रणाली को अपनाया है यद्यपि इस सबंध में प्रगति मन्द है।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2012) कि समीक्षा बैठकों का आयोजन आबंटित कोयला ब्लॉक्स के विकास का मूल्यांकन करने के लिए किया गया था जिसमें राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था और सभी अनुमतियों को शीघ्र जारी करने के लिए अनुरोध किया गया था।

इस संबंध में, यह नोट किया गया था कि विशेषज्ञ समिति (2005) ने यह भी देखा था कि बहुत से मामलों में मुख्य विलम्ब पर्यावरणीय अनुमति, भूमि के लिए अनुमोदन, सम्बन्धित राज्य सरकारों से खनन पट्टा प्राप्त करने और आगामी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया करने में हुआ था। समिति ने सुझाव दिया है कि राज्य प्राधिकारियों से अनुमोदन एवं अनुमति प्राप्त करने में उनका मॉनीटरन करने में एमओसी को सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए। इसलिए, यह सिफारिश की जाती है कि एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में किया जाए जिसमें नोडल मंत्रालयों यथा एमओईएफ, खान आदि और राज्य सरकारों से सदस्य शामिल हों ताकि शीघ्र उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक अनुमतियों और अनुमोदनों की प्रगति का मॉनीटर एवं समीक्षा की जा सके। उत्पादन की शुरूवात की कार्यविधियों में गति लाने के लिए आवश्यक लाइसेंस प्रदान करने के लिए विदेश निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) की रूप रेखा में अधिकार प्राप्त समूह के गठन की आवश्यकता है।

5.6 सीसीओ द्वारा अपर्याप्त मॉनीटरिंग

1993 से, एमओसी कोयला ब्लॉकों के उत्पादन का मॉनीटरिंग कर रही है। जनवरी 2005 में कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) को इस प्रयोजन के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया था। एमओसी ने आबंटित कोयला ब्लॉकों /अन्त उपयोग परियोजनाओं के विकास का मॉनीटर करने के लिए अपर सचिव (मॉनीटरिंग समिति) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की (अक्तूबर 2009)।

निर्धारित दिशानिर्देशों और आबंटित पत्र के मीलपत्थर के अनुसार विकसित कोयला ब्लॉक की जिम्मेवारी पूर्णतः आबंटितियों के पास है और कोयला ब्लॉकों के विकास/ अन्त उपयोग परियोजना के गठन में जानबूझकर विलम्ब की स्थिति में सरकार के पास कथित ब्लॉक का आबंटन रद्द करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने का अधिकार है। इसके अनुरूप सरकार समीक्षा बैठकों में कोयला ब्लॉकों के विकास की आवधिक रूप से मॉनीटर एवं समीक्षा करती है। जहाँ कहीं भी विलम्ब पाया जाता है वहाँ ऐसे आबंटितियों को दिशानिर्देशों/माइलस्टोन चार्ट के अनुसार उत्पादन में कोयला ब्लॉक्स को लाने के लिए उन्हें सावधानी लेने के लिए कारण बताओ नोटिस और परामर्शी जारी किए जाते हैं जिसके विफल होने में ब्लॉक का आबंटन रद्द किया गया। सीसीओ ने ब्लॉक आबंटितियों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर कोयला ब्लॉक्स के विकास और सम्बद्ध अन्त-उपयोग परियोजनाओं पर एक त्रैमासिक प्रास्थिति रिपोर्ट तैयार की जिसे समीक्षा के लिए और उपयुक्त उपचारी कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए मॉनीटरिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के अनुसार नियमों के अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से कोयला नियंत्रक किसी कोयला खदान में प्रवेश और निरीक्षण कर सकता है। तथापि, सीसीओ ने आबंटितियों द्वारा सूचित प्रगति/उत्पादन की तुलना में वास्तविक प्रगति/उत्पादन को अभिनिश्चित करने के लिए आबंटित कोयला ब्लाकों का कोई प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं किया। अतएव, आबंटितियों द्वारा प्रस्तुत डाटा की शुद्धता की जाँच नहीं की जा सकी।

- सीसीओ के पास कोयला ब्लाकों की प्रभावी मानीटरिंग के लिए पर्याप्त संस्वीकृत क्षमता अथवा तैनाती नहीं थी। यह पाया गया था कि 2007 में सीसीओ द्वारा प्रस्तावित 17 तकनीकी पदों के सृजन की प्रक्रिया अभी एमओसी के विचाराधीन थी (नवम्बर 2011)।

- एमओसी ने निदेश दिया (जुलाई 2010) कि नौ ब्लाकों जिसमें अधिकतम निर्धारित क्षमता प्राप्त हुई थी को एमओसी में आगे समीक्षा नहीं की गई होगी किन्तु उनकी प्रगति सीसीओ द्वारा मानीटर की गई होगी। तथापि, सीसीओ एमओसी के इन दिशानिर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहा (नवम्बर 2011)।

- मानीटरिंग समिति को प्रत्येक महीने आबंटित कोयला ब्लाकों की प्रगति की समीक्षा करनी थी। तथापि, उसे कठोरता से नहीं अपनाया गया था और बैठक त्रैमासिक आधार पर हुई थी।

आगे यह नोट किया गया कि एमओसी ने कारण बताओं नोटिस जारी किया और आबंटितियों द्वारा कोयला ब्लाकों के विकास की पहल के अभाव में जून 2011 तक 24 ब्लाकों का आबंटन रद्द कर दिया। प्रस्तावित प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया आबंटित ब्लाकों में आबंटितियों की वित्तीय रकमों को बढ़ाने के लिए अभिप्रेत थी जिससे ब्लाक/अंतिम उपयोग परियोजनाओं के विकास में तत्कालिकता का अपेक्षित बोध लाना है किन्तु जिसे अभी शुरू करना है। आंतरिक कोयला ब्लाकों से उत्पादित कोयला को काला बाजार की ओर विपथन का मामला भी है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में प्रभावी मानीटरिंग निर्धारित मील पत्थरों के अनुसार कोयला ब्लॉक का विकास सुनिश्चित करना और उत्पादित कोयला के उपयोग पर निगरानी रखना भी अपेक्षित हैं।

मंत्रालय ने स्वीकार किया (फरवरी 2012) कि सीसीओ कोलकाता को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता थी और बताया कि अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन था।

5.7 चूक के मामले में बैंक गारंटियों का नकदीकरण न करना

एमओसी ने कोयला ब्लाकों से समय से उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए बैंक गारंटी (बीजी) की प्रणाली शुरू की (मार्च 2005)। कोयला क्षेत्र सुधार के लिए रोड मैप पर विशेषज्ञ समिति (दिसम्बर 2005) ने बीजी के प्रस्तुतिकरण की सिफारिश की जिसका 50 प्रतिशत गारंटीकृत उत्पादन से और 50 प्रतिशत अंतिम उपयोग परियोजनाओं की स्थापना से जुड़ा हुआ था। एमओसी ने बीजी की प्रणाली का आशोधन किया (जनवरी 2007) और बीजी राशि के 50 प्रतिशत को उत्पादन की शुरूवात से पहले प्राप्त किए जाने वाले मील पत्थरों से और और बीजी के शेष 50 प्रतिशत गांरटीकृत उत्पादन से सम्बद्ध किया था। बीजी के प्रस्तुतिकरण को सरकारी प्रबन्धन के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों को आबंटित कोयला ब्लाकों के लिए भी लागू किया गया था (जुलाई 2007)। अक्तूबर 2009 से मानीटरिंग समिति को आबंटन - पत्रों/मील पत्थर समयबद्धता के निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार कोयला ब्लाकों अथवा अंतिम उपयोग संयंत्रों के विकास में शिथिलता के मामले में नकदीकरण के लिए बीजी की कटौती का निर्धारण एवं सिफारिश करनी थी।

विशेषज्ञ समिति ने पहले जारी लाइसेंसों का रद्द करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी सिफारिश की है यदि आबंटिती आबंटित खदानों में उत्पादन शुरू करने अथवा अंतिम उपयोग संयंत्रों की स्थापना करने के लिए उपयुक्त उपाय करने में विफल रहा था।

इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पायाः

- बीजी शुरू करने और उसे मील पत्थरों से जोड़ने में विलम्ब हुआ था। इसके परिणामस्वरूप एमओसी द्वारा बीजी के प्रस्तुतिकरण को 2005 से पूर्व आबंटित 46 ब्लाकों में लागू नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त जुलाई 2007 से पूर्व आबंटित 118 ब्लाकों के सम्बन्ध में मील पत्थरों की उपलब्धि को बीजी से नहीं जोड़ा गया था और अतएव मील पत्थरों के अननुपालन के लिए शास्ति लगाने को कार्यान्वयन नहीं किया जा सका।

- आबंटन के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार सीसीओ/एमओसी जुलाई 2008 और जून 2010 (15 अगस्त 2011 तक) के दौरान आबंटित पाँच ब्लाकों अर्थात पिनड्राखी, पुटा पारोगिया, मौर्या, भिवकुन्ड और बाँकुई से बीजी का संग्रहण नहीं कर सका। इसमें भिवकुन्ड,बाँकुई और मौर्या ब्लाकों के सम्बन्ध में ₹ 247.98 करोड़ की बीजी शामिल थी।

- कोयला ब्लाकों के आबंटन के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार बीजी राशि में खान के अंतिम अधिकतम निर्धारित क्षमता के आधार पर आशोधन होगा। तथापि, उसे अभी करना है (नवम्बर 2011)।

- बीजी के लेखांकन की कोई कार्यप्रणाली भी नहीं थी। लेखा का कोई उचित शीर्ष नकदीकृत बीजी के जमा के लिए चिन्हित नहीं था। परिणामस्वरूप एमओसी/सीसीओ छः ब्लाकों (अन्सेटीपल्लीः ₹ 0.59 करोड़, पुनुकुलु चिलाकाः ₹ 0.80 करोड़, पेनगेडाप्पाः ₹ 7.50 करोड़, मांडला साउथः ₹ 1.14 करोड़, सेमरिया/पिपारियाः ₹ 0.91 करोड़ और रावानवारा नार्थः ₹ 2.00 करोड़) के प्रति ₹ 12.94 करोड़ की बीजी राशि को भुना नहीं सका।

- एमओसी ने आबंटितियों द्वारा कोयला ब्लाकों के विकास के लिए पहल के अभाव में जून 2011 तक 24 ब्लाकों का आबंटन रद्द किया। मानीटरिंग समिति ने कोयला ब्लाकों के विकास में विलम्ब के लिए 15 आबंटितियों से बीजी की कटौती के लिए सिफारिश भी की (जनवरी और फरवरी 2011)। तथापि, एमओसी बीजी का नकदीकरण नहीं कर सका जहाँ कहीं इन आबंटितियों को लागू है वहाँ ऐसे नकदीकरण की पद्धतियाँ अभी बनानी थी (नवम्बर 2011)। विशेषज्ञ समिति ने ऐसे मामलों में सम्पूर्ण बीजी के नकदीकरण के लिए सिफारिश भी की।

- नवम्बर 2011 तक लेखापरीक्षा द्वारा निकाली गई व्यपगत बीजी 15 ब्लाकों जिन्हें नवीकरण करने के आवश्यकता थी के प्रति ₹ 311.81 करोड़ थी।

मंत्रालय ने स्वीकार किया (फरवरी 2012)कि बैंक गारंटी के नकदीकरण की राशि के परिकलन के लिए कोई दिशानिर्देश विद्यमान नहीं थे और आगे बताया कि यह विचाराधीन था।

5.8 कोयला उत्पादन के संवर्धन के लिए ढाँचा

कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए वर्तमान ढाँचा के लेखापरीक्षा विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चलाः

(i) भारत सरकार उत्खनन की लागत को छोड़कर आंतरिक खनन के लिए कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए कोई धन प्रभारित नहीं करती है। आबंटिती को राज्य सरकार को मुख्यतः रायल्टी का भुगतान करना होता है। इस प्रकार, कोयले की बाजार कीमत और उत्पादन की लागत के बीच अंतर आबंटिती के लिए एक प्रत्यक्ष/प्रोत्साहन लाभ है।

(ii) कोयला के विलम्बित उत्पादन के मामले में आबंटिती को कोयला ब्लाकों के रद्द होने का जोखिम अथवा एमओसी द्वारा शास्तिक कार्रवाई अर्थात कोयला उत्पादन के लाभों से वंचित होने के अलावा आंशिक अथवा पूर्ण बैंक गारंटी का नकदीकरण के अधीन है।

इस प्रकार, निम्नलिखित के द्वारा कोयला की माँग को पूरा करने के लिए कोयला उत्पादन के संवर्धन को सुगम करने हेतु प्रणाली में सुधार की गुंजाइश हैः

(i) *उपरोक्त पैरा 5.5 में* संस्तुत उच्च अधिकार प्राप्त समिति के तंत्र के माध्यम से सम्बन्धित राज्य सरकार से भूमि अधिग्रहण के साथ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से खनन पट्टा, खनन योजना, वन अनुमति और पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना का शीघ्र अनुमोदन।

(ii) अंतिम उपयोग परियोजना की आवश्यकता से अधिक बेशी कोयला के उत्पादन के साथ अंतिम उपयोग संयंत्र की शुरूवात से पूर्व उत्पादन के मामलों में भी कोयला के समय से उत्पादन के लिए प्रोत्साहन होने चाहिए। अवसंरचनात्मक सुविधाओं के शीघ्र सृजन के लिए समर्थन सहित उत्पादन की लागत पर यथोचित प्रतिफल के लिए सुविनिर्दिष्ट नीति अपेक्षित है।

(iii) आबंटितियों द्वारा अनौचित्य विलम्ब के मामले में गैर/खराब निष्पादन के लिए समय से शास्तिक कार्रवाई (ब्लाकों के आबंटन को रद्द करने सहित) लागू करने की आवश्यकता है।

(iv) बैंक गारंटी की राशि को गैर गम्भीर उद्यमियों को निषिद्ध/शास्तिक करने के लिए आबंटिती की रकम की वृद्धि हेतु बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।